

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/295
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00196
CICOM/R/2019/00614

दिनांक: 28.11.2019

अपीलकर्ता : श्री सुजीत कुमार सिंह,
पुत्र - श्री कल्लन,
ग्राम व पो0 - भैंसा (कछवा),
जिला - मीरजापुर, उत्तर प्रदेश - 231501.

निर्णय की तारीख: 28.11.2019

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	03.08.2019
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	16.08.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	29.10.2019
प्रथम अपील की डायरी सं.	18932/05.11.2019

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 03.08.2019 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से मांगी गई सूचनाओं के प्रतिउत्तर में मैं श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है।

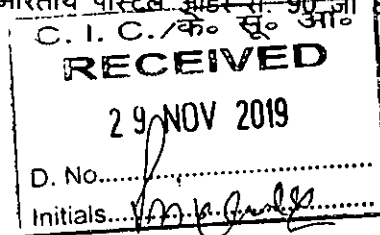
2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 03.08.2019 के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में दिनांक 16.08.2019 को केन्द्रीय सूचना आयोग के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा द्वारा सूचना प्रेषित की गई। उक्त आर.टी.आई. आवेदन के अतिरिक्त भी अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 25.06.2019, 06.09.2019 एवं 04.10.2019 को भी आर.टी.आई. आवेदन प्रेषित किए गए और जिनके प्रतिउत्तर श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा द्वारा क्रमशः दिनांक 10.07.2019, 25.09.2019 एवं 14.10.2019 को प्रेषित किए गए। केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा द्वारा प्रेषित की गई सूचनाएं सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 एवं सूचना अधिकार नियम, 2012 के प्रावधानों के तहत बिल्कुल तथ्यानुसार हैं तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

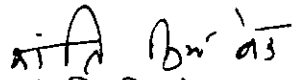
3. तदुसार प्रथम अपील निस्तारित की जाती है।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील हेतु कोई शुल्क देय नहीं है, अतः आपके प्रथम अपील आवेदन के साथ संलग्न 50 रु0 का भारतीय पोस्टल ऑर्डर सं- 90 जी 820187 आपको वापस किया जाता है।

संलग्नक - यथोपरि।

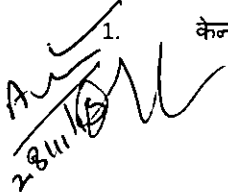



(शान्ति प्रिय बेक)

अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।


28/11/19